भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

सं. 432/89/सीएजी/सीएएन/कि कार्य/2016-17	**दिनांक 15.06.2017**

<u>निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)</u>

सेवा में,

सभी संबंधित वेंडर

विषय: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्लीके विभागीय कैंटीन हेतु रसोई के वेंटिलेशन सिस्टम की आपूर्ति, स्थापन एवं उसे चालू करने के संबंध में।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली के विभागीय कैंटीन हेतु मौजूदा पुरानी प्रणाली के स्थान पर सभी आवश्यक उपकरणों और मानक बनावट वाली संबंधित सामग्री सहित एक नए रसोई के वेंटिलेशन सिस्टम की आपूर्ति, स्थापन एवं उसे चालू करने हेतुप्राधिकृत वेंडरों अथवा मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) से सीमित निविदा के माध्यम से नीचे उल्लिखित संक्षिप्त विवरण के अनुसार मुहरबंद उद्धरण आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम सं.	मौजूदा पुरानी प्रणाली के अनुसार सामान का संक्षिप्त विवरण	मात्रा
1	दोहरी परत वाली पीयूएफ इंसुलेटेड कवर वाली एक पूरी एयर सप्लाई यूनिट जिसमें अपकेंद्री पंखा, उपयुक्त मोटर और पम्प, प्री- फिल्टर्स, सेल्युलोज पैड्स, 20000 सीएफएम क्षमता वाले और 50 मिमी के मानक दबाववाले एलीमिनेटर्स हों।	1
2	दोहरी परत पीयूएफ वाली एक पूरीइक्जॉस्ट इकाई का पूर्ण सेट जिसमें विद्युतरोधी परत, उच्च दाब वाला पीछे से मुड़ा अपकेंद्री पंखा, आवश्यक मोटर, 12000 सीएफएम की न्यूनतम क्षमता तथा 80 मिमी के मानक दबाव वाला ड्राइव सेट हो।	2
3	उपरोक्त सभी के लिए इलेक्ट्रिक स्टार्टर्स सेट	3

4	डबल स्पीड एयर कर्टेन 3''	1
5	डबल स्पीड एयर कर्टेन 4''	1
6	डबल स्पीड एयर कर्टेन 5''	1
7	साइट पर आवश्यकतानुसार अन्य जरूरी सामान	

ठेके के निबंधन एवं शर्तें संलग्न अनुबंध में सूचीबद्ध हैं। ''विभागीय कैंटीन हेतु रसोई के वेंटिलेशन सिस्टम की आपूर्ति, स्थापन एवं उसे चालू करने हेतु'' लिखे हुए मुहर बंद उद्धरण को निदेशक (का.) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 कोसम्बोधित होगा तथा 23 जून, 2017 को शाम 5:00 बजेतक अथवा उससे पूर्व इस कार्यालय के तीसरे तल के कक्ष सं. 305 में वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (कल्याण) के पास जमा कराया जाएगा। इस निविदा आमंत्रण की एक प्रति इस कार्यालय की वेबसाइट http://www.cag.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक:अनुबंध।

भवदीय,

हस्ता.

(परवेज हसन)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (कल्याण)

अनुबंध

(निबंधन व शर्तें)

कार्यक्षेत्र:

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 के विभागीय कैंटीन में आवश्यकता और ऊपर उल्लिखित विनिर्देशनों के अनुसार मौजूदा पुरानी प्रणाली के स्थान पर सभी आवश्यक उपकरणों और मानक बनावट वाली संबंधित सामग्री सहित एक नए रसोई के वेंटिलेशन सिस्टम की आपूर्ति, स्थापन एवं उसे चालू करने से पूर्व रसोई केभौतिक ढांचे और अन्य जरूरी स्थापनाओं को बिना कोई क्षति पहुंचाए पुराने मौजुदा वेंटिलेशन सिस्टम को सही तरीके से हटाना।

वैकल्पिक मद:

उपरोक्त वर्णित मदों के अलावा वैकल्पिक मद (मदें), यदि कोई हो, तो उसपर प्रतिस्पर्धी मूल्य पर ठेके में अलग से विचार किया जाएगा एवं शामिल किया जाएगा।

पात्रता मापदंड:

1. वेंडर/निविदाकार के पास सभी प्रकार के रसोई के वेंटिलेशन सिस्टम की आपूर्ति,स्थापन, चालू करने तथा मरम्मत के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। इसके लिए सरकारी विभागों/स्वायत्तनिकायों/पीएसयू आदि से प्राप्त आवश्यक कार्य आदेशों के साथ उनके मौद्रिक मूल्य की प्रतियां भी उद्धरण के साथ-साथ प्रस्तुत की जाएंगी।
2. वेंडर/निविदाकार के पास पर्याप्त एवं कुशल श्रमबल के साथ सभी तकनीकी सहयोग के लिए मजबूत सर्विस बैकअप अवश्यहोना चाहिए। उनके तकनीकी ज्ञान एवं अनुभवके साथ साथ मौजूदा श्रमबल के विवरण दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।
3. प्राधिकृत वेंडरों/निविदाकारोंके मामले में ओईएम से एक प्राधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुतकिया जाए जिसमें उस क्षेत्र का उल्लेख हो जिसके लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।
4. निवदाकार की फर्म तत्संबंधी कार्य के लिए दिल्ली बिक्री/ सेवा कर विभाग में अवश्य पंजीकृत होनी चाहिए तथा उद्धरण के साथ वैध पंजीकरण संख्या की प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी।
5. निविदाकार को पैन संख्या की प्रति अवश्य प्रस्तुत करनी होगी।

6. निविदाकार की फर्मरसोई केवेंटिलेशन सिस्टम की आपूर्ति, स्थापन और उसे चालू करने के क्षेत्र में आईएसओ 9001-2000 या इससे ऊपर के प्रमाणपत्र के साथ प्रमाणित अवश्य होनाचाहिए। इसके लिए वैध प्रमाणपत्र की एकप्रति प्रस्तुत की जाएगी।
7. निविदाकार का पिछले तीन वर्षों में वार्षिक टर्नओवर ₹1 करोड़ से या उससे अधिक होना चाहिए। पिछ्ले तीन वर्ष2014-15-16-17 के लिए सीए द्वारा पूर्णत: सत्यापित बैंलेंस शीट की प्रतियां संलग्न की जाएं।
8. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए वेंडर/फर्म के लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रतियों के साथ आयकर विवरणियों की प्रतियां भी प्रस्तुत की जाएंगी।

सामान्य शर्तें:

1 यह कार्यालय निम्नतम निविदाको स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताएप्राप्त की गई सभी निविदाओं को खारिज करने का अधिकार रखता है। वे निविदाएं जिनमें कोई भी विवरण या निर्धारित सूचना किसी भी संबंध में अपर्याप्त या अपूर्ण हो अथवा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया गया हो, अस्वीकृति के योग्य हैं। निविदाकर द्वारा किसी भी प्रकार से प्रचार करने का परिणाम उनकी निविदाओं की संक्षिप्त अस्वीकृति होगी। इस संबंध में इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगाऔर निविदाकार पर बाध्य होगा।

2 परियोजना/संविदा के समापन के लिए समयावधि जो कि 4 सप्ताह से अधिक नहीं होगी और संविदा सौंपे जाने की तिथि से प्रारंभ होगी, उद्धरण में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जायेगा।

3 सशर्त प्रस्तावों पर किसी भी ढंग से विचार नहीं किया जायेगा और वे स्वत: ही रद्द हो जायेंगे।

4 यदि कोई चूक (कें) देखी जाती है (हैं) या संविदा की अवधि के दौरान कोई शिकायत देखी जातीहै तो विलंबित सुधार या किसी अन्य कारण की वजह से कार्य की किसी व्यवस्था के लिए मुआवजे की उगाही पर ठेकेदार से जुर्मानादावा लागू करने का निर्णय इस कार्यालय के निदेशक (कार्मिक) द्वारा लिया जाएगा।

5 विक्रेता आदेश में दिए गए अन्यथा को छोडकर इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी से पूर्व लिखित सहमति के बिना कार्य को पूर्ण तथा अंशत: सब्लेट नहीं करेगा। यदि ऐसी सहमति दी गई तो यह ठेकेदार को ठेके के अंतर्गत किसी जवाबदेही या उत्तरदायित्व से

मुक्त नहीं करेगी तथा वह अपनी तथा अपने एजेंटों के नौकरो तथा श्रमिकों के कार्य, चूकों तथा लापरवाहियों के लिए उत्तरदायी होगा।

बयाना जमा और निष्पादन प्रतिभूति:

1 पीएओ,सीएजी के पक्ष में आहरित क्रास्ड डिमांड ड्राफ्टके रूप में ₹35,000 (₹पैंतीस हजार केवल) की बयाना जमा (ईएमडी) मोहरबंद उद्धरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जिसे सफल बोलीदाताओं के मामले में बैंक गारंटी के रूप में आवश्यक निष्पादनप्रतिभूति के प्रस्तुतीकरण तक रखा जायेगा जबकि असफल बोलीदाताओं की ईएमडीज मोहरबंद उद्धरण के खोलने की तिथि से 3-5 दिनों के भीतर वापस की जाएंगी।

2 इसके बाद ठेकेदार के रूप में संदर्भित सफल निविदाकर को कुल ठेका मूल्य के 10% के बराबर राशि की'बैंकगारंटी' प्रस्तुत करनी है जिसे वारंटी अवधि सहित ठेके की समाप्ति पर जारी किया जायेगा। कार्यभार का सामना करने में निविदाकार की विफलता अथवा सन्तोषजनक सेवाएं नहीं देने के मामले में उसको दिया गया ठेका कोई नोटिस दिए बिना अथवा कोई कारण बताए बिना, जो भी हो रद्द कर दिया जाएगा और बैंक गारंटी भुना ली जाएगी और उसको देय भुगतान, यदि कोई हो, जब्त कर लिया जाएगा। इस संबंध में निदेशक (का.) का निर्णय अन्तिम होगा और ठेकेदार को बाध्यकारी होगा।

बाई बैक प्रस्ताव:

सभी उपस्कर/संस्थापन/उपभोज्य /गैर-उपभोज्य मदों सहित पुरानी मौजूदा वेंटिलेशन प्रणाली कीमोहरबंदउद्धरणके साथ बाई-बैक योजना के तहत प्रतियोगी और समेकित दर प्रस्तावित की जायेगी।

साइट विजिट:

कार्यालय को पूर्व सूचना के तहत 4.00 से 5.30 बजे अपराहन के बीचसभी कार्यालय दिवसों केदौरान वर्तमान में स्थितिपुरानी प्रणाली एवं बाधाओं की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए निविदाकार को साइट के निरीक्षण की अनुमति दी जायेगी। इस संबंध में विक्रेता/निविदाकार इस कार्यालय के चौथे तल पर कमरा संख्या 411 में श्री बीएस बक्शी, प्रबंधक कैनटीन (सम्पर्क सं. 23509411) से संपर्क कर सकते है।

कर एवं शुल्क

विक्रेता/निविदाकार को अपनी निविदा लागत में सभी शुल्क,उपकर, बिक्री कर, माल भाड़ा/चुंगी अथवाकोई भी अन्य स्थानीय प्रभार,यदि लागू हो,को शामिल करना चाहिए चूंकि परियोजना के समापन में यदि आवश्यक हो और जरूरी हो, कार्य क्षेत्र विस्तारण के कारण भी किसी अतिरिक्त दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

वारंटी:

1 सभी संबंधित संस्थापन चाहे उपभोज्य या गैर-उपभोज्य हो के साथ सभी बडे/छोटे उपस्कर मानक वारंटी अवधि के तहत शामिल होंगे।
2 वारंटी अवधि के दौरान उपयोगकर्ताओं की सभी शिकायतों को तुरन्त दूर किया जाएगा अथवा शिकायत दर्ज करने के दिन ही ध्यान दिया जायेगा जिसमें असफल होने पर उचित शास्ति लगेगी और कुछ भाग या पूर्ण बैंक गारंटी को भुनाया जायेगा। इस संबंध में इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
3 यदि किसी कारण से ठेकेदार शिकायतों/कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो वह कार्य किसीअन्य फर्म या खुले बाजार से ठेकेदार के जोखिम और लागत पर कराया जायेगा और किए गए खर्च को ठेकेदार से वसूला जायेगा। इसके कारण संविदा का रद्दीकरण अथवा ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी का नकदीकरण भी हो सकता है।
4 यदि कोई उपस्कर या उसके किसी भाग को वारंटी अवधि के दौरान मरम्मत/प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है तो ठेकेदार समान या उच्चतर मेक और मॉडल के खराब उपस्कर/भाग में सुधार या प्रतिस्थापन किए जाने तकउसका साइट पर तुरंत ही उचित स्थानापन्न करेगा और उसकी लागत यदि कोई हो ठेकेदार द्वारा भुगती जायेगी।

साइट निर्बाधन एवं कार्यों का सीमांकन:

ठेकेदार कार्योका सीमांकन करेगा और सभी उपस्करों एवं उनके भागों की स्थितियों,स्तरों, परिमाणों और संरेखण की सटीकता के लिए कार्योका सही एवं सम्पूर्ण निर्दिष्टिकरण के लिए उत्तरदायी होगा। यदि किसी समय पर किसी कार्य के निष्पादन/प्रगति के दौरान कोई त्रुटि प्रतीत होगी तो ठेकेदार अपने खर्च पर ऐसी त्रुटि दूर करेगा, यदि इस कार्यालय की संतुष्टि के लिए बुलाया जाता है।

सरकार एवं स्थानीय नियम:

ठेकेदार संविदा की अवधि के दौरान सभी समय पर कामगारों के कल्याण एवं सुरक्षाके लिए अथवा जनता की सुरक्षा एवं अन्य बीमा प्रावधानों के लिए दिल्ली की एनसीटी सरकार अथवा केंद्रीय सरकार अथवा इस कार्यालयएवं अन्य सभी स्थानीय प्राधिकरणों के विनियमों तथा उप विधियों, राज्य विधायिका तथा संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न मजदूर अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि विनियम इत्यादि के अंतर्गत दिए गए नियमों सहित बनाए गए कानूनो के अनुरूप कार्य करेगा तथा अनुपालन करेगा।

अन्य अनुबंध:

ठेकेदार संविदा अन्तर्गत कार्य के क्रियान्वयन के समय अपने स्वयं के कामगारों/मजदूरों अथवा कार्यालय परिसर में अन्य व्यक्तियों को चोट के कारणतथा संपदा के किसी नुकसान के लिए किसी देयता के प्रति इस कार्यालय को क्षतिपूर्ति करेगा।

हस्ता.

(परवेज हसन)

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (कल्याण)